

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर  
जिला हनुमानगढ

कालुसिंह बनाम कल्याण सिंह आदि

किस्म मुकदमा 53 ,188 आर.टी.एक्ट. नम्बर 239 सन-2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख
25.03.2019	वादी अभिभाषक की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10.05.2019 को पेश हो। (6 ✓)	
10 <sup>5</sup> / <sub>19</sub>	वकील वादी उपरोक्त वकील वादी ने प्रतिवादीगण को तलबी हेतु राज्य सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं प्रतिवादीगण को तलबी हेतु पुनः राज्य सम्मन प्रस्तुत करते ही दिनांक 10.05.2019 को पेश हो। (6 ✓)	
19 <sup>6</sup> / <sub>19</sub>	<p><del>वकील वादी एवं वकील रपरा के निवेदन पर पत्रावली पेशी में की गई वादी के अधिवक्ता वादी व्यय न निवेदन किया की वह अपना वाद वही चलाना चाहता है स्वार्थिक किता जावे।</del></p> <p><del>वादी के वाद नहीं चलाने के कारण वाद वही स्वार्थिक किता जावे पत्रावली न लिखे न पत्र लिखे।</del></p> <p><del>उपरोक्त वक्ता इंद्रप्रास सुनाया गया।</del></p>	<p>कालुसिंह</p> <p>पट्ट्यातकी</p> <p>रजिस्ट्रार</p> <p>19</p> <p>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)</p> <p>नोहर</p>